

# FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... जगदीश सिंह

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-27 सन्-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-27/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
10.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्बत् 2078 ग्राम कोट भूमि ख0न0 1250 रकबा 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ते पर गैरसायल जगदीश पुत्र रामचन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोट द्वारा जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर कर, गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल अनुपस्थित। गैर सालय के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अम्ल में लायी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.40 रुपये का 50 गुणा 20 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली एवं वसूली हेतु ऑर्डर0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

रा0 ल0 स0 4 वर्ष-2078 की  
पू0 सं0-13-पर-20 रु क  
मांग कायमी की गई।

तहसील राजस्व तहसीलदार

मण्डावर  
तहसीलदार  
तहसील मण्डावर (दौसा)